


5/6/20.

पत्रावली पेश हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा
वांलवाड़ा ने पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मांभाशा-
पुरा मार्बल द्वारा समस्त बकाया राशि जमा कर
दी है। इसलिये सफेदी एक्ट के तहत 5/6/20
प्रकाणदं 4/20 को वापस लेना चाहते हैं।
प्रकाण में राशि जमा हो जाने के कारण बैंक
के आवेदन पर प्रकाण वापस लेने की अनुमति
दी जाती है। पत्रावली में प्रमाण होकर दायित्व
दफ्तर ही।

(के.सारा बरमे)
मिला कलक्टर, मांभाशा


Harpal Singh

